

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपा/जोन-10/2014/डी-1556

दिनांक 18/6/14

— आदेश —

इकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन, पटटा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि का कायवाही की जा रही है जो नगर निगम जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर हैं। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से उत्तरांतरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं नगर निगम, जयपुर को तमाम असेंट्स एवं लाइविलिटोज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव जैसे राडको, नालियो, पार्को इत्यादि के लिये हस्तान्तरित की जाती हैं:-

क्र.सं.	सैक्टर सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम
1	34	लुनियावास	जगदाशपुरी
2	34	दी फोरेस्ट ब्यू	गुरु कालीनी
3	34	इस्टन्पुरा ए	रामलुटीर
4	34	हथरोइ गढ़ी	बाल विहार कालीनी-ई
5	34	पहाड़गज	शंकर विहार
6	34	शान्ति नगर	दाढ़ी नगर
7	34	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर ए
8	34	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर बी
9	34	शान्ति नगर	मणेश विहार
10	34	लक्ष्मी नगर	गगडान विहार
11	34	लक्ष्मी नगर	करीम नगर
12	34	लक्ष्मी नगर	हेल ब्यू एन्कलेच
13	34	हथरोइ गढ़ी	जगदीश कालीनी

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमानती नगर निगम, जयपुर दसूल करेगी। इन योजनाओं में विष्व में भवन निर्माण की स्थीकृत नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

(पवन अरोड़ा)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाधं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, मान्यतोय मंत्री गहोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
- निजी भविव, आयुष्मा, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- निदेशक, स्वायत शासन विभाग, रजस्थान, जयपुर।
- सदिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- पुरुष नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
- समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय शिष्य एवं अंकेशण विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त आयुष्मा(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/गूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
- समस्त उपायुक्तागण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/लप्त/जोन- 10/2014/डी- 1410

दिनांक ८/६/१५

-: आदेश :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुगांठन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का वरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं नगर निगम, जयपुर को तपाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव(जैसे सड़कों, नालियों, पार्कों इत्यादि) के लिये हस्तान्तरित की जाती हैं:-

क्र.सं.	सैक्टर सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम
1	34	अम्बेश्वर	मर्णश विहार- बी
2	34	अम्बेश्वर	मर्णश विहार सी
3	34	विकास भवन	मुख्याम
4	34	लक्ष्मी नगर	द्वारकापुरी 52
5	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार
6	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार पिस्तार
7	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार २
8	34	लक्ष्मी	महाली विहार मैन
9	34	हथरोड़ गढ़ी	बाबा नाहरसिंह कालानी सी
10	34	दी फोरस्ट ब्लू	बाबा नाहरसिंह कालानी

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जागावनी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भवन निर्माण को स्वीकृत नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।


(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपयोग है

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री नहोदय, नगरेय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन गवित, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजरथाना, जयपुर।
5. सचिव, राजरथाना आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजरथाना, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. सनस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आमुक्त(प्रशासन/पूर्व/परिचय/भूमि/पूर्वांकित), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।


(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर